न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 402/2024

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भीमसिंह पुत्र पुराराम जाट निवासी ग्राम रोहिला खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर		1. **राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर** 2. **उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) आदेश कमांकः राज./290 दिनांक 02.09.2024

उपस्थित–
1. श्री बाबुलाल गोरा, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 से 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसीलदार जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत प्रस्तावित ग्राम रोहिला खुर्द के खसरा नम्बर 33 व 33/1 का ख0नं0 33 में एकीकरण के स्वीकृति आदेश कमांकः राज./290 दिनांक 02.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–तहसीलदार जोधपुर द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शें में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शें में भिन्नता आ रही है यथा सरकारी खसरे में से कई खातेदारों को पूर्व में गैर मुमकिन बाड़ा किस्म के छोटे–छोटे हिस्से आंवटित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किए गये, जिनका नामान्तरकरण पुश्त पर नजरी नक्शा, आवंटन संबंधी दस्तावेज या अन्य कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नही है। जिससे कि इन गैर मुमकिन बाड़ों एवं खसरों की दिशा व स्थिति खसरें में स्पष्ट नही है, ऐसे खसरों की तरमीम करना संभव नही होने से गैर मुमकिन बाड़ों के खसरान को मूल खसरे में एकीकृत करने के प्रस्ताव पर रिकॉर्ड दुरूस्ती का आदेश प्रदान कराने का आग्रह किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) के अपीलाधीन आदेश कमांकः राज./290 दिनांक 02.09.2024 द्वारा इसे स्वीकार कर, खातेदार अलादीन पि0 दाऊखां के खसरा नम्बर 33 रकबा 22.05 बीघा तथा भीमसिंह पि0 पुराराम के ख0नं0 33/1 रकबा 10 बीघा का ख0नं0 33 में एकीकरण की अभिशंषा अनुसार रिकॉर्ड/खसरा दुरस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम रोहिला खुर्द के ख0नं0 33 रकबा 32.05 बीघा भूमि एकल खातेदार अल्लादीन खां की खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार अल्लादीन द्वारा इसमें से पूर्वी दिशा की 10 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 30.01.1997 प्रार्थी–अपीलांट को किया गया। जिस बेचाननामें में 10 बीघा भूमि के वर्णित पडौस अनुसार, उत्तर में मोकलावास सरहद की भूमि, दक्षिण में गफुर खां वगैरा की भूमि, पूर्व में आम रास्ता रोहिला कलां से लोरड़ी देजगरा जाने वाला एवं पश्चिम में इसी खसरे का शेष भाग दर्शाया जाकर वक्त खरीद कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त बेचाननामें के आधार पर प्रार्थी–अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये ना0क0सं0 173 दिनांक 13.03.1997 ख0नं0 33/1 रकबा 10 बीघा भूमि दर्ज कर, जमाबंदी में अलग से खाता संख्या 85 में खातेदारी दर्ज की गई। तब से प्रार्थी–अपीलांट अपनी खरीदसुदा उपरोक्त वर्णित भूमि का उपयोग व उपभोग निर्बाध करता आ रहा है। लेकिन DILRMP योजनान्तर्गत राजस्व कार्मिकों द्वारा स्थानीय लोगों से सांठ–गांठ कर, खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा एकीकरण कर दिया गया। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधि विरूद्ध

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

होने से खारिज योग्य है। आरएलआर एक्ट की धारा 131 में तरमीम शुद्धि एवं धारा 136 में अशुद्धि दुरूस्ती के प्रावधान है। जबकि पंजीबद्ध बेचान के आधार से पृथक से अपीलांट की खातेदारी में दर्ज भूमि का एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर खसरा एकीकरण कर दिया गया है, जो न्याय संगत नही है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश कमांकः राज./290 दिनांक 02.09.24 एवं इसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांकः भू.अ./24/6779 दिनांक 01.10.2024 के अनुसरण में पारित ना0क0सं0 639 दिनांक 01.10.2024 को खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन कार्यवाही राज्य सरकार की महत्वांकांक्षी DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, एकीकरण प्रस्ताव से संबंधित भूमि में हुए परिवर्तन के दस्तावेज प्रयास करने के बावजूद उपलब्ध नही होने से खातों का एकीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही होने के कारण तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तावित किया गया, जिस पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकृति के उपरांत उत्तरोतर कार्यवाही की गई है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट का अभिकथन है कि ग्राम रोहिला खुर्द के ख0नं0 33 रकबा 32.05 बीघा भूमि एकल खातेदार अल्लादीन खां की खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार अल्लादीन द्वारा इसमें से पूर्वी दिशा की 10 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 30.01.1997 प्रार्थी–अपीलांट को किया गया। उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी–अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये ना0क0सं0 173 दिनांक 13.03.1997, ख0नं0 33/1 रकबा 10 बीघा भूमि दर्ज कर, जमाबंदी में अलग से खाता संख्या 85 में पृथक से खातेदारी दर्ज की गई। अपीलांट वक्त खरीद से ख0नं0 33/1 की भूमि पर काबिज काश्त है। पंजीबद्ध बेचाननामा अल्लादीन खां बहक भीमसिंह में विकयसुदा भूमि के पडौस का पूर्ण विवरण अंकित है। इसके बावजूद

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त खसरे का पुनः मूल ख0नं0 33 में एकीकरण, बिना अपीलांट की सुनवाई के कर दिया गया। अपीलांट विकय दस्तावेजात के आधार पर अपनी कयसुदा भूमि की राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने का हक रखता है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश एवं उसकी पालना में पारित ना0क0सं0 639 न्यायोचित प्रतीत नही होते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित ग्राम रोहिला खुर्द के खसरा नम्बर 33 व 33/1 का ख0नं0 33 में एकीकरण स्वीकृति आदेश कमांकः राज. /290 दिनांक 02.09.2024 एवं इसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांक भू.अ./24/6779 दिनांक 01.10.24 के अनुसरण में ग्राम रोहिला खुर्द के स्वीकृत ना0क0सं0 639 दिनांक 01.10.24 निरस्त किये जाते है।

साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस मामले में अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, बाद जांच एवं तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15/4/26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त